an>

Title: Regarding non-implementation of provision of 74th Constitutional Amendment in governance of local bodies in Uttar Pradesh.

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): आदरणीय सभापति जी, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे शून्य काल में बोलने का अवसर दिया। वर्ष 1992 में 74वां संविधान संशोधन इस उद्देश्य से पारित किया गया था कि सत्ता का विकेंद्रीकरण करते हुए स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा तथा अधिकार दे कर निकायों में समस्याओं का निराकरण व निकायों का विकास निर्वाचित जनप्रतिनिधियों द्वारा जनाकांक्षाओं के अनुरूप किया जा सके।

इस हेतु 18 विषयों के निकायों को स्थानान्तरित किया जाना था। इन विषयों का उल्लेख संविधान की नई 12वीं अनुसूची में किया गया है। मैं इनका समयाभाव के कारण यहां उल्लेख नहीं करना चाहता हूँ। इसका उद्देश्य प्रदेश सरकारों को अपने निकायों को संचालित करने वाले नियमों में तदनुसार संशोधन करना था।

महोदय, जे.एन.एन.यू.आर.एम. के अंतर्गत जब नगरीय निकायों की केंद्रीय स्तर पर विकास की योजना बनी, तब उसके लागू किए जाने की शर्त के रूप में विभिन्न प्रदेश सरकारों द्वारा निकायों के नियमों में 74वें संविधान संशोधन के अनुरूप परिवर्तन अनिवार्य रूप से किया जाना था, यह मैंडेट्री था।

महोदय, कुछ प्रदेश सरकारों ने यह काम किया, उदाहरणार्थ राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 2008 में

Rajasthan Municipalities Ordinance-2008 द्वारा अपेक्षित संशोधन किए गए। परन्तु उत्तर प्रदेश में यह नहीं हुआ, और मेरा कहना है कि यह षड़यंत्रपूर्वक नहीं हुआ। स्थिति यह है कि निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों, अध्यक्षों, तथा महापौरों की अपने-अपने निकायों में कोई प्रभावी भूमिका नहीं है। अधिकारियों के माध्यम से प्रदेश सरकार ने इन निर्वाचित प्रतिनिधियों के अधिकारों का हनन एवं अपहरण कर लिया है। योजनाओं के निर्माण एवं क्रियान्वयन में प्रदेश सरकार के संरक्षण में अधिकारियों की मनमानी चल रही है। योजनाओं का कोई सोशल ऑडिट सम्भव नहीं हो पा रहा है। जे.एन.एन.यू.आर.एम. में तो विशेष रूप से व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार है, जिसे पहले भी मैंने इस सदन में उठाया है तथा उच्च स्तरीय जाँच की माँग की है।

मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकायों को स्वावलम्बी बनाने तथा जनहित से जुड़े विषयों पर त्वरित कार्यवाही के लिए 74वें संविधान संशोधन के सभी 18 विषय तत्काल स्थानीय निकायों को हस्तान्तरित कराये जायें ताकि उत्तर प्रदेश की जनता को उनके अधिकार मिल सकें तथा वह एक बेहतर जीवन की ओर अग्रसारित हो सके।

महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।